"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516]　　　　रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर 2017—— अग्रहायण 4, शक 1939

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 16-1/गृह-दो/विविध/2017. — यत:, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिये सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शौर्य पदक की संस्था को अनुमोदित करती है. राज्य की सेवा में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वीरतापूर्ण प्रदर्शन के लिये छत्तीसगढ़ पुलिस कार्मिकों को पदक प्रदान किया जायेगा;

और यत:, छत्तीसगढ़ शौर्य पदक, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर को प्रदान किया जायेगा;

अतएव, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के कार्मिकों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शौर्य पदक नियम, 2017 कहलायेंगे.

   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. छत्तीसगढ़ शौर्य पदक का विवरण.- (1) पदक, कांस्य से बना हुआ स्वर्ण का लेप लगा हुआ 1.38 इंच डायमीटर का गोल आकार का होगा तथा इसके अग्र भाग पर राज्य का प्रतीक (मोनो) अंकित होगा, इसके पीछे की तरफ राजकीय वृक्ष "साल" का चित्र अंकित होगा.

   (2) पदकों के लिये कोई सीमा नहीं होगी, किन्तु औसतन 05 पदक प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे.

   (3) इस शौर्य पदक के सभी प्राप्तकर्ता को, मुद्रा भत्ता प्रतिमाह रू. 1500 (केवल एक हजार पांच सौ रूपये) प्राप्त करने की पात्रता होगी.

3. पदक हेतु अर्हताएं.- (1) छत्तीसगढ़ शौर्य पदक उन पुलिस कर्मिकों को प्रदान किया जायेगा, जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान वीरतापूर्ण कार्य किये हों.

(2) ऐसे पुलिस कर्मिकों, जिनका नामांकन, राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक एवं पुलिस शौर्य पदक हेतु भारत शासन को भेजा गया हो, किन्तु जिन्हें ऐसा पदक प्रदान नहीं किया गया हो, के नाम पर भी पदक के लिये विचार किया जायेगा.

(3) अभ्यर्थियों की निष्ठा और किसी भी न्यायिक कार्यवाही में उनकी गैर-भागीदारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए.

(4) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.

(5) यह पदक, पुलिस विभाग के सभी श्रेणियों के पुलिस कर्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के आधार पर प्रदान किया जायेगा.

4. राजपत्र में प्रकाशन.- पदक प्राप्तकर्ताओं के नाम, राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे तथा ऐसे नामों की एक पंजी, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संधारित की जायेगी.

5. पदक धारण करने हेतु नियम.- पदक, सीने के बायीं ओर धारण किया जायेगा तथा इसमें लगा हुआ फीता 1.3 इंच चौड़ा होना चाहिये एवं इसमें 1/3 भाग में पीले, लाल एवं नीला रंग समाविष्ट होना चाहिये.

6. पदक का समपहरण.- जब धारक को दीर्घ दण्ड दी जाये अथवा कार्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करने की जानकारी प्राप्त हो, तब पदक समपहरण योग्य होगा.

7. मरणोपरांत सम्मान.- पदक, मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों में पदक से संबंद्ध अनुदान और मासिक भत्ता, पदक प्राप्तकर्ता (शहीद) के परिवार को प्रदान किया जायेगा.

8. पदकों की उद्घोषणा.- राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शौर्य पदक पुरस्कार की उद्घोषणा, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर को करेगा.

9. पदक प्रदान करने की प्रक्रिया.- (1) पुलिस अधीक्षक/सेनानी, पदक प्रदान करने हेतु योग्य कर्मिकों की सूची तैयार करेंगे और इसे प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई तक संबंधित पुलिस रेंज महानिरीक्षक को अग्रेषित करेंगे.

(2) पुलिस रेंज महानिरीक्षक, प्रस्तावों की जांच करेंगे और इसे पुलिस महानिदेशक को अग्रेषित करेंगे.

(3) प्रस्तावों की समीक्षा हेतु गठित समिति द्वारा सभी प्रस्तावों की छानबीन की जायेगी, जो प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक राज्य शासन को चयनित सूची का प्रस्ताव भेजेगी.

10. पदक चयन समिति.- विशेष आसूचना शाखा, प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन के लिये और उसे राज्य शासन को अग्रेषित करने के लिये नोडल एजेंसी होगी. निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल करते हुए गठित छानबीन समिति, पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी :-

(1) विशेष डीजी/अति. डीजी (विआसा) - अध्यक्ष

(2) अति. डीजी (गुप्तवार्ता) - सदस्य

(3) अति. डीजी (प्रशा.) - सदस्य

(4) आईजी (सीएएफ) - सदस्य

(5) आईजी (सीआईडी) - सदस्य

(6) डीआईजी (विआसा) - सदस्य - सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतनदेवी जांगड़े, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 16-1/गृह-दो/विविध/2017. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-11-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतनदेवी जांगड़े, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 20th November 2017

NOTIFICATION

No. F 16-1/Home-2/Misc./2017.— Whereas, with an objective to honor the Chhattisgarh Police personnel for their gallant acts, the State Government, hereby, approves the institution of the Chhattisgarh Shaurya Padak. The medal would be awarded to the Chhattisgarh Police personnel for their act of gallant exhibited during discharge of their duties in the service of the State;

And Whereas, the Chhattisgarh Shaurya Padak will be awarded on the Chhattisgarh State Foundation day i.e. on 1st November of every year;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, makes the following rules for awarding the Chhattisgarh Shaurya Padak to the Chhattisgarh Police Force Personnel, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Shaurya Padak Rules, 2017.
   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Description of Chhattisgarh Shaurya Padak.- (1) The medal shall be circular in shape, made of bronze with gold gilt, 1.38 inches in diameter and shall have embossed on the obverse of it the State Emblem. On the reverse, it shall have embossed the State Tree "SAL".
   (2) There shall be no limit for the medals but on an average 05 medals shall be awarded per year.
   (3) All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance of Rs. 1500 (Rs. One thousand five hundred only) per month.

3. Qualifications for Medal.- (1) The Chhattisgarh Shaurya Padak shall be awarded to those police personnel who have exhibited gallant action while discharging their duties to secure the life and property of the public, prevention of crime and while apprehending criminals.
   (2) Name of such Police personnel whose nominations were sent to Government of India for the President's Police Medal for Gallantry and Police Medal for Gallantry but were not awarded with such medal, shall also be considered for the medal.
   (3) The integrity of the candidate and his non involvement in any judicial proceedings should be certified by the Competent Authority.
   (4) Strict compliance of the directions of the Supreme Court, National Human Right Commission and Government of India in this regard will be ensured.
   (5) This medal will be awarded to all the categories of police personnel of Police Department on the basis of their gallant action.

4. Publication in Gazette.- The names of the recipient of the medal shall be published in the Official Gazette of the State Government and a register of such names shall be maintained by the Home Department, Government of Chhattisgarh.

5. Rules for wearing the Medal.- The Medal shall be worn suspended from the left breast and the attached ribbon should be of 1.3 inch in width and should comprise of yellow, red and blue colours in 1/3rd proportion.

6. Forfeiture of Medal. - The Medal is liable to be forfeited when the holder is awarded major punishment or comes to the notice for deterioration in the standard of the work.

7. Posthumous awards.- The medal may be awarded posthumously. In such a case the grant and the monthly allowance attached to the medal will be paid to the family of the awardee.

8. Declaration of Medals.- The State Government wil declare Chhattisgarh Shaurya Padak award on the occasion of Chhattisgarh State Foundation Day i.e. on 1st November of every year.

9. Procedure for awarding of the Medal.- (1) The Superintendent of Police/Commandant will prepare the list of deserving personnel for the award of the Medal and shall forward it to the respective Inspector General of Police range by 30th of July of every year.

   (2) The Inspector General of Police Range would screen the proposals and would forward it to Director General of Police .

   (3) All proposals will be scrutinized by the Committee constituted for review of the proposals, which will send the shortlisted proposals to the State Government by 31st of August of every year.

10. Medal Selection Committee.- The Special Intelligence Branch will be the Nodal Agency for scrutiny and for forwarding the received proposals to the State Government. A screening committee consisting of the following officers will screen the proposal received from the Director General of Police :-

(1)	Special DG/Addl. DG (SIB)	-	Chairman
(2)	Addl. DG (Intelligence)	-	Member
(3)	Addl. DG (Admn.)	-	Member
(4)	IG (CAF)	-	Member
(5)	IG (CID)	-	Member
(6)	DIG (SIB)	-	Member - Secretary.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANTANDEVI JANGDE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.